संख्या-449/2023/2886/22-2-2023-17(651)/2023

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेषसचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 20 जुलाई, 2023

विषय:-केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सीताराम पुत्र श्री दयाल, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-22775/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-11.07.2023), दिनांक-13.07.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सीताराम पुत्र श्री दयाल, गलरई, थाना-पसगवा, जनपद-लखीमपुर खीरी का निवासी है। दिनांक 13.11.1995 को अभियुक्त ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पुरानी रंजिश को लेकर भाला, लाठी, कांता से लाल बहादुर व डोरीलाल नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 534/2002 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 323/149 एवं 324/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-3, लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांक 07.08.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 10.07.2023 तक अपरिहार 15 वर्ष 09 माह 22 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष 09 माह 13 दिन की सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज का व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी की समयपूर्व रिहाई से पीड़ित के परिवारीजन विरोध कर सकते हैं, न्यायालय में पुनः जा सकते है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने, समयपूर्व रिहाई के लिए तनाव व कसीदगी, बदले की भावना आदि परिस्थितियों के मद्देनजर रिहाई उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 13.11.1995 को 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पुरानी रंजिश को लेकर भाला, लाठी, कांता से 1-लाल बहादुर, 2-डोरीलाल नामक व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सीताराम पुत्र श्री दयाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सीताराम (बन्दी संख्या-44798) पुत्र श्री दयाल, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-449/2023/2886(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सुश्री गरिमा प्रसाद, अपर महाधिवक्ता, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित अवमाननावाद संख्या-854/2023 राम नारायन व अन्य बनाम श्री संजय प्रसाद व अन्य अन्तर्गत रिट याचिका (क्रि0) संख्या-164/2022 राजेन्द्र व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सन्दर्भ में।

2- श्री सर्वेश सिंह बघेल, ए0ओ0आर0, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित अवमाननावाद संख्या-854/2023 राम नारायन व अन्य बनाम श्री संजय प्रसाद व अन्य अन्तर्गत रिट याचिका (क्रि0) संख्या-164/2022 राजेन्द्र व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सन्दर्भ में।

3- जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित अवमाननावाद संख्या-854/2023 राम नारायन व अन्य बनाम श्री संजय प्रसाद व अन्य अन्तर्गत रिट याचिका (क्रि0) संख्या-164/2022 राजेन्द्र व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सन्दर्भ में।

6- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

7- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-449/2023/2886/22-2-2023-17(651)/2023

दिनांक 20 जुलाई, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सीताराम पुत्र श्री दयाल, गलरई, थाना-पसगवा, जनपद-लखीमपुर खीरी का निवासी है। दिनांक 13.11.1995 को अभियुक्त ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पुरानी रंजिश को लेकर भाला, लाठी, कांता से लाल बहादुर व डोरीलाल नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 534/2002 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 323/149 एवं 324/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-3, लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांक 07.08.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 10.07.2023 तक अपरिहार 15 वर्ष 09 माह 22 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष 09 माह 13 दिन की सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज का व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी की समयपूर्व रिहाई से पीड़ित के परिवारीजन विरोध कर सकते हैं, न्यायालय में पुनः जा सकते है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने, समयपूर्व रिहाई के लिए तनाव व कसीदगी, बदले की भावना आदि परिस्थितियों के मद्देनजर रिहाई उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 13.11.1995 को 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पुरानी रंजिश को लेकर भाला, लाठी, कांता से 1-लाल बहादुर, 2-डोरीलाल नामक व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सीताराम पुत्र श्री दयाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।